

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2013/भाद्र 29, 1935 No. 483] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2013/BHADRA 29, 1935

# भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग (केंद्रीय कार्यालय) अधिसूचना

मुंबई, 17 सितम्बर, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपए में उधार लेना और उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 645(अ). —िवदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (डी) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपए में उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसुचना सं. फेमा. 4/2000-आरबी) में निम्निलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

# 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (ए) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपए में उधार लेना अथवा उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेगी।
- (बी) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

# 2 विनियमों में संशोधन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपए में उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 4/2000-आरबी) (अब इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप मे उल्लिखित) में, विनियम 6 में, उप-विनियम 2 के बाद, स्पष्टीकरण से पहले, निम्निलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा अर्थात्:-

"बशर्ते कि रिज़र्व बैंक, ऐसी निवासी एंटिटीज/कंपनियों को इस प्रकार उधार ली गयी निधियों का निम्नवत उपयोग करने की अनुमति दे सकता है:

- (ए) इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए / पुन: उधार देने के लिए; अथवा
- (बी) अनुमत अंतिम उपयोगों हेतु उनके द्वारा उपयोग किए जाने तक के लिए भारत में बैंकों के पास सावधि जमाराशियों के रूप में रखने के लिए"।

[सं फेमा. 287 / 2013-आरबी]

रुद्र नारायणकर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

# पाद टिप्पणी:

मूल विनियमावली 5 मई 2000 को जीएस.आर.सं.387 (ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चातृ निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:

- i. 27 नवम्बर 2000 के सा.का.नि. सं.90 (ई),
- ii. 20 अगस्त 2002 के सा.का.नि. सं.754 (ई),
- iii. 25 मार्च 2004 के सा.का.नि. सं.351 (ई),
- iv. 25 मई 2004 के सा.का.नि. सं.453 (ई),
- v. 18 सितम्बर 2007 के सा.का.नि. सं.711 (ई),
- vi. 20 जनवरी 2009 के सा.का.नि. सं.107 (ई),
- vii. 25 सितम्बर 2012 के सा.का.नि. सं. 895 (ई),

# RESERVE BANK OF INDIA (Foreign Exchange Department) (Central Office) NOTIFICATION

Mumbai, the 17th September, 2013

# Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Amendment) Regulations, 2013

**G.S.R. 645(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.4/2000-RB dated May 3, 2000), namely:-

#### 1. Short title and commencement

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Amendment) Regulations, 2013.
- (b) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

#### 2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.4/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), in Regulation 6, after sub-regulation 2, before Explanation, the following shall be inserted, namely:

"Provided that the Reserve Bank may permit such resident entities / companies to use such borrowed funds:

- (a) for on lending / re-lending to the infrastructure sector; or
- (b) for keeping in fixed deposits with banks in India pending utilization by them for permissible end-uses".

[No. FEMA. 287/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

#### Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.387 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:

- i. No. G.S.R.90 (E) dated November 27, 2000
- ii. No. G.S.R.754 (E) dated August 20, 2002
- iii. No. G.S.R.351 (E) dated March 25, 2004
- iv. No. G.S.R.453 (E) dated May 25, 2004
- v. No. G.S.R.711 (E) dated September 18, 2007
- vi. No. G.S.R.107 (E) dated January 20, 2009
- vii. No. G.S.R.895 (E) dated September 25, 2012